

17/3/20

मनप्रीत कौर

श्रीमती

पत्रावली पेश हुई तादिया मनप्रीत कौर
स्वयं उपस्थित आयी व प्राचीन पत्र
पेश किया। प्राचीन पत्र में विवेदन
किया कि प्रायिका का अप्राची से
पंचायत ने रजिनामा करवा दिया है।
इसलिए प्रायिका उक्त अनवान के
प्राचीन पत्र में आगामी कायवाही
नहीं करना चाहती है। प्राचीन पत्र
अन्तगत धारा 212 RTA इसी स्टेज
पर दाखिल दफ्तर करने की कृपा
करे। प्रायिका को सुना गया व
पत्रावली का अवलोकन किया
गया। प्रायिका द्वारा प्राचीन पत्र
नोटप्रेस करने पर इसी स्टेज पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली में
~~निष्पत्ति होकर~~ जारी दिनांक 14/03/20
की अस्थायी निवेदना निरस्त की
जाती है। पत्रावली निष्पत्ति होकर
गम्बर से कम हो गई।



(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर